MUNICIPAL COMMITTEE, KALANAUR नगरपालिका कलानौर

E-mail ID- secy-kalanaur@ulbharyana.gov.in Off Tel. No. 01258-299022, 299422

सार्वजनिक सूचना/मुनादी

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नगर पालिका कलानौर से भवन मानचित्र (Building Plan) स्वीकृत करवाना अनिवार्य है। भवन निर्माण कार्य केवल स्वीकृत भवन मानचित्र के अनुसार ही किया जाए। बिना स्वीकृति अथवा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किया गया निर्माण नियमानुसार कार्रवाई के दायरे में आएगा। भवन निर्माण एवं उपयोग के दौरान अग्नि सुरक्षा (Fire Safety) तथा अन्य आवश्यक सुरक्षा मानकों का पूर्ण रूप से पालन किया जाए। विशेष रूप से वाणिज्यिक क्षेत्रों (Commercial Areas) में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguishers) एवं अन्य आवश्यक अग्नि सुरक्षा उपकरण स्थापित करना सुनिश्चित करें तथा उन्हें कार्यशील अवस्था में रखें। सभी नागरिकों, भवन मालिकों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों की पालना करना सुनिश्चित करें।

सचिव,
नगरपालिका कलानौर।

पृ0 क्रमांकः—एम0सी0के0/2026/2164-71 दिनांकः— 16/6/26

इसकी एक—एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. जिला नगर आयुक्त महोदय, रोहतक।
2. अध्यक्ष, नगरपालिका कलानौर।
3. उपाध्यक्ष, नगरपालिका कलानौर।
4. सभी वार्ड पार्षद, नगरपालिका कलानौर।
5. पालिका अभियन्ता/भवन निरिक्षक कलानौर को इसकी एक प्रति भेजकर लिखा जाता है कि कलानौर शहरी क्षेत्र में समय—समय पर निरिक्षण कर जिन भी व्यक्तियों द्वारा भवन मानचित्र स्वीकृत करवाये बिना भवन निर्माण सम्बन्धित गतिविधियां/कार्य किया जा रहा है, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
6. सभी व्यापारी संगठन, नगरपालिका कलानौर।
7. नोटिस बोर्ड, कलानौर।
8. नगरपालिका कलानौर, वेबसाईट।

सचिव,
नगरपालिका कलानौर।

Scanned with OKEN Scanner